Golden Research Thoughts
Volume 2, Issue. 3, Sept 2012
ISSN:-2231-5063

Available online at www.aygrt.net

ORIGINAL ARTICLE

बस्तर संभाग में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के हितग्राहियों का अध्ययन

हरजिन्दर पाल सिंह सलूजा[1], रविश कुमार सोनी[2], भुनेश्वर प्रसाद[3], हरजीत सिंह भाटिया[4]

[1]प्राध्यापक – वाणिज्य, प्रींसिपल इन्वेस्टीगेटर ,मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट यू.जी.सी.
शा. वि. या. ता. स्नातकोत्तर स्वशासी महा. दुर्ग ;दृ ग.द्ध
[2]सहा. प्राध्यापक – वाणिज्य, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर ;दृ ग.द्ध
[3]प्रोजेक्ट फेलो , मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट यू.जी.सी.
शा. वि. या. ता. स्नातकोत्तर स्वशासी महा. दुर्ग ;दृ ग.द्ध
[4]सहा. प्राध्यापक – वाणिज्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगाँव ;छ. ग.द्ध

प्रस्तावना :–

किसी भी व्यवसाय हेतु पूँजी की भूमिका प्रमुख होती है कृषि कार्य भी व्यवसाय की तरह है जिसमें भी पूँजी की आवश्यकता होती है कृषको को कृषि कार्य के विकास हेतु वित की आवश्यकता होती है जिससे कृषक कृषि कार्य को सरलता से कर सके कृषको की वित्तीय आवश्यकता समस्या की पूर्ति हेतु जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कृशको को उनकी आवश्यकता के अनुसार अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की सुविधा विविध प्रयोजन हेतु प्रदान की जाती है ।

अध्ययन उद्देश्य

बस्तर संभाग के अंतर्गत कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के हितग्राहियों का अध्ययन ।
बैंक की ऋण योजनाओं से लाभान्वित कृशक ।
कृषक बैंक की ऋण योजनाओं एवं कार्यप्रणालियों से संतुष्ट है यदि नही तो समस्या का अध्ययन ।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण मे स्थित है इसकी स्थिति 20.6 – 20.24 देशांतर तथा 80.48 – 81.48 अक्षांश तक है बस्तर संभाग की भौगोलिक स्थिति 43169 वर्ग किलोमीटर है व 16, 30, 43 और 221 I राष्ट्रीय राजमार्ग है । जनगणना 2011 के अनुसार बस्तर संभाग की कुल जनसंख्या 42,28,816 है जिसमे शहरी जनसंख्या 16.16: व ग्रामीण जनसंख्या 83.84: है । बस्तर संभाग में शिक्षा की दृश्टि से 66.76: शहरी जनसंख्या और 33.24: ग्रामीण जनसंख्या शिक्षित है ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रतिशत कम होने पर बैंक की ऋण वसूली पर प्रभाव पड़ रहा है बस्तर संभाग की आजीविका कृषि पर निर्भर है कृशक अपनी कृषि भूमि पर स्वयं के जोत पर या दूसरो की जोत पर निर्भर है । बस्तर सभाग में प्रमुख उद्योग टाटा स्टील प्लांट और एन. एम. ड़ी. सी. है ।

अध्ययन पद्धति

शोध अध्ययन सर्वेक्षण पद्वति पर आधारित है जिसके अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र बस्तर संभाग लिया गया है जिसमें बैंक की मुख्य शाखा एवं उनके सहायक शाखा से चयनित हितग्राहियों से साक्षात्कार–अनुसूची तथा अवलोकन तकनीक द्वारा समंको का संकलन किया गया है तथा द्वितीयक समंक में बैंक के प्रतिवेदन से संकलित किया गया है

Please cite this Article as : हरजिन्दर पाल सिंह सलूजा[1], रविश कुमार सोनी[2], भुनेश्वर प्रसाद[3], हरजीत सिंह भाटिया[4], बस्तर संभाग में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के हितग्राहियों का अध्ययन : एक समीक्षा : **Golden Research Thoughts (Sept ; 2012)**

समंको का विश्लेषण

तालिका क्र. 1

हितग्राहियों का शिक्षण स्तर

क्र.	शिक्षा	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	अशिक्षित	17	28.33%
2	प्राथमिक	18	**30.00%**
3	माध्यमिक	9	15.00%
4	उच्च माध्यमिक	4	6.67%
5	उच्चतर माध्यमिक	9	15.00%
6	स्नातक	1	1.67%
7	साक्षरता	2	3.33%
	कुल	**60**	**100%**

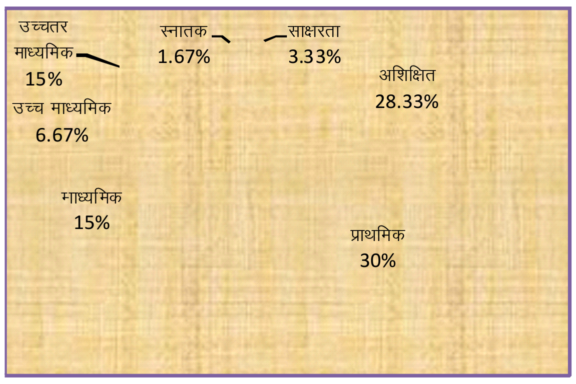

स्त्रोत :– शोध हेतु चयनित हितग्राहियों से लिए गये साक्षात्कार/प्रश्नावली

तालिका क्र. 1 में शिक्षा उत्तरदाताओं को स्पष्टतः प्रभावित करता है क्योंकि अध्ययनगत उत्तरदाताओं में 28.33: उत्तरदाता अशिक्षित है व 30: उत्तरदाता प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है बैंक की ऋण योजनाओं का लाभ उठाने में अशिक्षित एवं प्राथमिक स्तर के हितग्राही अधिक है वही माध्यमिक और उससे अधिक शिक्षित हितग्राही बैंक की ऋण योजनाओं में रूचि कम रखते है जिसके कारण ऋण वसूली प्रतिशत कम हो रहा ह

तालिका क्र. 2

हितग्राहियों की जाति

क्र.	जाति	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	अनुसूचित जनजाति	27	**45.00%**
2	अनुसूचित जाति	12	20.00%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	18	30.00%
4	सामान्य	3	5.00%
	कुल	**60**	**100%**

स्त्रोत :– शोध हेतु चयनित हितग्राहियों से लिए गये साक्षात्कार/प्रश्नावली

उपरोक्त तालिका क्र.–2 में जाति संबंधी विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों की संख्या 45: है जिससे यह स्पश्ट है कि वे बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधाओं का लाभ अधिक ले रहे है अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों की संख्या सकारात्मक है तथा सामान्य वर्ग के हितग्राहियों 5: है जो बैंक की ऋण योजनाओं का लाभ लेने में रूचि नही दिख रही है इसका कारण ऋण वितरण की प्रकिया व ऋण सुविधा भी हो सकता है ।

तालिका क्र. 3

हितग्राहियों की व्यवसायिक स्थिति

क्र.	व्यवसाय	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	कृषि	54	**90.00%**
2	कृषि + अन्य व्यवसाय	6	10.00%
	कुल	**60**	**100%**

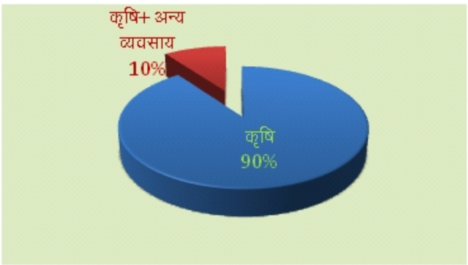

स्त्रोत :– शोध हेतु चयनित हितग्राहियों से लिए गये साक्षात्कार / प्रश्नावली

उपरोक्त तालिका –3 से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययनगत उत्तरदाताओं में 90: कृषि कार्य में संलग्न है वही मात्र 10: उत्तरदाता कृषि व अन्य कार्य में भी रूचि रखते है अतः यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में हितग्राही केवल कृषि कार्य पर निर्भर होते है अर्थात आय का एक मात्र स्त्रोत कृषि ही है

तालिका क्र. 4

हितग्राहियों की वार्षिक आय

क्र.	वार्षिक आय (रु में)	उत्तरदाता	प्रति□त
1	0–50,000	16	26.67%
2	**50,000–1,00,000**	27	**45.00%**
3	1,00,000–2,00,000	7	11.67%
4	2,00,000 से अधिक	6	10.00%
5	जवाब नही दिया	4	6.66%
	कुल	**60**	**100%**

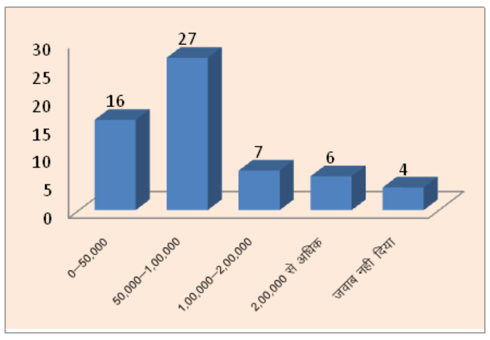

स्त्रोत :– शोध हेतु चयनित हितग्राहियों से लिए गये साक्षात्कार / प्रश्नावली

उपरोक्त तालिका क्र.– 4 में उत्तरदाताओं के वार्षिक आय संबंधी विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि 26.67: उत्तरदाताओं की वार्शिक आय 0–50,000 रू है 45: उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 50,000–1,00,000 रू है अर्थात वे अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के बाद कुछ नही बचा पाते है जिससे कि बैंक के किश्तो के भुगतान में प्रभाव पड़ता है 1,00,000 रू से 2,00,000 तक व 2,00,000 से अधिक वार्षिक आय वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत क्रमशः 11.67: व 10: ही है तथा 6.66: उत्तरदाताओं अपनी वार्षिक आय का कोई जवाब नही दिया है।

तालिका क्र. 5

कृषि भूमि में सिंचाई की स्थिति का विवरण

क्र.	सिंचाई	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	लघु सिंचित	8	13.33%
2	मध्यम सिंचित	14	23.33%
3	पूर्ण सिंचित	16	26.67%
4	असिंचित	22	**36.67%**
	कुल	**60**	**100%**

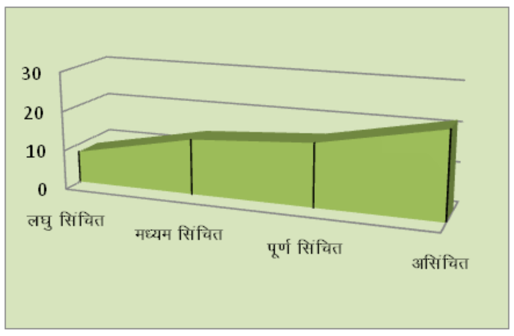

स्त्रोत :– शोध हेतु चयनित हितग्राहियों से लिए गये साक्षात्कार / प्रश्नावली

तालिका क्र. 5 में हितग्राहियों की कृषि भूमि में सिंचाई की स्थिति स्पष्ट होती है जिसमे 36.67: हितग्राहियों के पास कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा नही है तथा कृषि भूमि असिंचित है वे कृषि कार्य हेतु मानसुन पर निर्भर होते है तथा 26.33: हितग्राहियों के पास सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था है जिससे की वे उचित समय पर सिंचाई कर एक से अधिक फसल लेते है और लघु सिंचित 13.33: व मध्यम सिंचित 23.33: है जिससे सिंचाई के आभाव में उनके कृषि कार्य मे विकास नही हो पाता है जिसके कारण से हितग्राही बैंक ऋण समय पर अदा नही कर पाते है इससे बैंक अपना ऋण वसूल करने में असमर्थ होता है ।

तालिका क्र. 6

फसल विवरण

क्र.	कृशि कार्य	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	एक फसल	43	**71.67%**
2	द्विफसल	15	25.00%
3	बहुफसल	2	3.33%
	कुल	**60**	**100%**

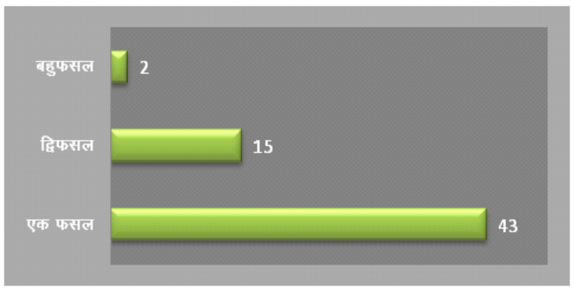

स्त्रोत :— शोध हेतु चयनित हितग्राहियों से लिए गये साक्षात्कार/प्रश्नावली

तालिका क्र. 6 से यह ज्ञात होता है कि एक फसल लेने वाले हितग्राहियों की संख्या 71.67: है वही द्विफसल 25: व बहुफसल 3.33: है कृशि भूमि में सिंचाई की सुविधा नही होने के कारण वे मानसुन पर निर्भर होते है और एकफसल ही ले पाते है जिससे कृशको द्वारा बैंक के किश्तो के भुगतान में विलंब होता है ।

तालिका क्र. 7

कृषि कार्य में प्रयुक्त तकनीक

क्र.	प्रयुक्त तकनीक	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	परंपरागत	50	**83.34%**
2	आधुनिक	8	13.33%
3	अन्य	2	3.33%
	कुल	**60**	**100%**

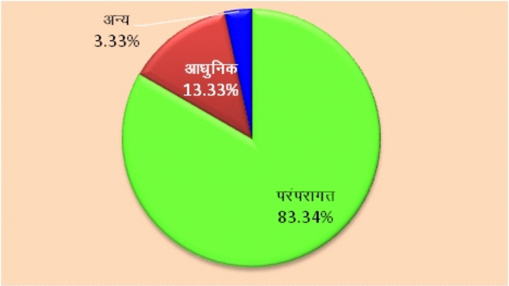

स्त्रोत :— शोध हेतु चयनित हितग्राहियों से लिए गये साक्षात्कार/प्रश्नावली

तालिका —7 से स्पष्ट है कि 83.34: उत्तरदाता कृषि कार्य में परंपरागत तकनीक का प्रयोग करते है तथा वही 13.33: उत्तरदाता अभी भी आधुनिक तकनीक का उपयोग करते है इससे यह स्पष्ट है कि परंपरागत कृषि तकनीक का उपयोग कम है जो कि कृशको की जागरूकता को दर्शाता है तथा आवश्यकता आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने की है जिससे कृशक अपने उत्पादन को बढ़ा सके।

निष्कर्ष

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अध्ययन समय में विभिन्न प्रयोजन हेतु ऋण वितरित किए है जिससे यह ज्ञात होता है कि —

बैंक की ऋण योजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजाति के कृषक ने अधिक लिया है अनुसूचित जनजाति के 45: ,अनुसूचित जाति के 20: ,अन्य पिछड़ा वर्ग के 30: एवं सामान्य वर्ग के 5: ने बैंक की ऋण योजनाओं का लाभ उठाया है ।
वे हितग्राही जिन्होने जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ऋण योजनाओं का लाभ लिया है उनकी शिक्षण स्थिति निम्न है अशिक्षित 28.33:, प्राथमिक 30:, माध्यमिक 15:, उच्च माध्यमिक 6.67:, उच्चतर माध्यमिक 15:, स्नातक 1.67: तथा साक्षरता 3.33: है जिसमें प्राथमिक स्तर के हितग्राहियों ने अधिक लाभ लिया है ।
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वितरित ऋणों में लघु कृषक अधिक लाभान्वित हुए है लघु कृशक 61.67: मध्यम कृषक 25: तथा बड़े कृषको की संख्या 13.33: है ।
शोध अध्ययन में यह पाया गया कि कृषको का रूझान मशीनीकरण के क्षेत्र में अधिक पाया गया है जिसमें नलकूप के 46.67: व टैक्टर के 28.33: हितग्राही है कुल मशीनीकरण क्षेत्र में 90: तथा अमशीनीकरण क्षेत्र में 10: कृषको ने रूचि दिखाई है ।
शोध अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि 60: हितग्राहियों को अनुदान प्राप्त हुआ तथा 40: हितग्राहियों को अनुदान प्राप्त नही हुआ व हितग्राहियों को

उचित समय पर प्राप्त अनुदान 16.67: तथा अनुचित समय पर प्राप्त अनुदान 43.33: प्राप्त हुआ है ।

सुझाव

बैंक की ब्याज दर अधिक है जिसके कारण कृषक पुनः बैंक से ऋण नही लेना चाहते है बैंक की ब्याज दर से कृषक अधिक प्रभावित होते है अतः बैंक की ब्याज दर को कम करना चाहिए ।
कृषको द्वारा किश्तो के भुगतान में विलंब होने पर बैंक कृषको से दण्ड़ ब्याज वसूल करती है जिस पर चक्रवृद्विब्याज लगाई जाती है अतः कृषको से विलंब होने पर दण्ड़ ब्याज नही लिया जाना चाहिए ।
इस बैंक की ऋण प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है जिससे ऋण प्राप्त करने में कठिनाईयां होती है व समय भी अधिक लगता है अतः ऋण लेने की प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए एवं प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए ।
जिला सहकारी कृशि और ग्रामीण विकास बैंक की ऋण वसूली की स्थिति अत्यन्त खराब है अतः उन्हे समय–समय पर ऋण वसूली नीति में परिवर्तन तथा प्रभावशाली नवीन नीति बनाना चाहिए ।
ऋण लेने के समय कृषको को ऋण सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्रदान नही की जाती है अतः कृषको को ऋण सम्बन्धी पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए तथा समय–समय पर बैंक को योजना बनाकर कृषको को जागरूक करना चाहिए ।

सन्दर्भ ग्रंथ :–

1.जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन
2.हितग्राहियों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा एकत्रित समंक
3.भारतीय बैंकिग की आधुनिक प्रवृत्तियाँ – सुबह सिंह यादव
4.छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि एवं ग्रामीण विकास सहकारी बैंक की दशा व दिशा – डॉ. रवीश कुमार सोनी, ड़ॉ हरजिन्दर पाल सिंह सलूजा (GRT - Volume 2, Issue. 1, July 2012)
5.जिला सांख्यिकी पुस्तिका ,बस्तर
6.भारत की जनगणना , 2011
7.www.cg.govt.in www.cg.nic.in